राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 01.09.2020 से दिनांक 31.10.2020 तक ऑनलाईन पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसमें प्रताप नगर योजना जयपुर में मुख्यमन्त्री जन आवास योजना सैक्टर-3, जोन-32 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 504 फ्लैटस, अल्प आय वर्ग के 208 फ्लैट, मुख्यमन्त्री जन आवास योजना, सैक्टर-28 (जी +11) में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 480 फ्लैटस, अल्प आय वर्ग के 576 फ्लैट्स, मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना, सैक्टर-26 (बैसमेंट+स्टिल्ट+12) अल्प आय वर्ग के 240 फ्लैट्स, मध्यम आय वर्ग-अ के 288 फ्लैट्स, व मध्यम आय वर्ग- ब के 192 फ्लैट्स, वाटिका आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 337 आवास, अल्प आय वर्ग के 287 आवास, मध्यम आय वर्ग-अ के 165 आवास, तथा महला आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 271 आवास, अल्प आय वर्ग के 329 आवास, मध्यम आय वर्ग-अ के 136 आवास हेतु वरीयता निर्धारण लॉटरी दिनांक 06.01.2021 को प्रातः 10.30 बजे ''वेब बेस्ड प्रणाली'' द्वारा कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त वरीयता निर्धारण लॉटरी का कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक
1	लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	24.12.2020 सायं 5:00 बजे
2	आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	31.12.2020 सायं 6:00 बजे तक
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	04.01.2021 सायं 5:00 बजे
4	वरियता लॉटरी का आयोजन	06.01.2021 प्रातः 10:30 बजे से
5	सम्बंधित कार्यालय	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत-प्रथम, सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर , जयपुर

नोट :-

1. यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नही देने के कारण प्रस्तावित वरियता लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भुगतान पद्धति परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. प्रताप नगर, वाटिका एवं महला आवासीय योजना में प्राप्त आवेदनों में से प्रस्तावित आवासों के अनुपात में सफल आवेदकों का चयन करने हेतु वरीयता का निर्धारण कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली से लॉटरी द्वारा मण्डल नियमानुसार किया जावेगा।
4. वरियता निर्धारण हेतु योग्य आवेदको की सूची मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर भी उपलब्ध रहेगी।
5. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते है।

Samwad/C/8026/2020-21

उप आवासन आयुक्त, वृत-प्रथम, जयपुर